

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या - 666 / 2020

अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पोलशन कॉम्प्लेक्स दीघाघाट, पटना -11 का पत्रांक : RRC/ECR/GP1800/02/2018/Result, दिनांक: 20.03.2020 के अनुपालन में परिचालन विभाग में पोर्टर पद हेतु चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदस्थापना अस्थाई रूप से लेवल-1, वेतन रु0 18000 /- प्रतिमाह पर नियमानुसार देय अन्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने अंकित पद एवं पदस्थापना स्थल पर नियुक्ति की जाती है :-

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	अभ्यर्थी की जन्म तिथि	चयनित समुदाय	चिकित्सा श्रेणी, मेडिकल मेमो संख्या एवं दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	पद	पदस्थापना स्थल	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
1.	RISHU KUMAR	KRISHNA CHANDRA VISHWAKARMA	21/07/1993	UR (Lohar)	(Fit in A-2 & below) ACMS, Gynae/Dhanbad द्वारा जारी मेडि0 मेमो सं0 778421 Dt. 01.06.19	Matric	PORTER	Under SS/ GAI	Rishu Kumar

कुल एक (01) अभ्यर्थी मात्र।

उक्त अभ्यर्थी रेल सेवा शर्त के तहत लागू होने वाले सभी नियमों एवं शर्तों से शासित होंगे तथा इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी। इन्हें रेलवे के प्रादेशिक सेना में सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी अवधि तक सेवा करनी होगी। इन्हें रेल सेवा में बने रहना पुलिस द्वारा चरित्र-पत्र के सत्यापन रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रेलवे में लेवल-01 में नियुक्ति हेतु नामिकाबद्ध किए गए हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जाँचोपरांत सही पाये जाने के शर्त पर ये रेल सेवा में बने रहने के हकदार होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के किसी प्रकार से गलत/फर्जी पाए जाने पर इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यालय आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित पर्यवेक्षक के यहाँ अपना योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसे निरस्त समझा जाएगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद के पत्र सं0- एफ(ई)।।।।/2003/पी.एन./24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।

उपरोक्त पदस्थापना वमपचाप्र/सोनपुर द्वारा आदेशित हैं।

(रवि कुमार पंडित)

सहायक कार्मिक अधिकारी-11/सोनपुर

दिनांक : 07.12.2020

सं0 : का/227/आर.आर.सी./लेवल-1/भर्ती/सोन/19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर
2. वमविप्र/सोनपुर
3. वमपचाप्र/सोनपुर
4. स्टेप्र0/स्टेधी/गौछारी -कृपया संबंधित अभ्यर्थी को आवश्यक प्रशिक्षण उपरान्त कार्य पर लगाना सुनिश्चित करें एवं इसकी सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।
5. मुकार्याधी/परिचालन/बिल/सोनपुर/बिल/बरौनी
6. मुकार्याधी/परिचालन/कैंडर- अभ्यर्थी के फोल्डर में 03 प्रति में साक्षांकन-पत्र संलग्न है, जिसका सत्यापन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।
7. रेकॉर्ड प्रति
8. संबंधित अभ्यर्थी
9. अतिरिक्त प्रति
10. कार्यालय आदेश प्रति
11. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अ.जा/अ.ज.जाति एशो. सोनपुर।
12. मुकार्याधी/पास/सोनपुर- संबंधित अभ्यर्थी को सोनपुर से पदस्थापना स्थल तक का पास जारी किया जाय।

कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/सोनपुर